न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार, (R.A.S) उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या :–48/84

श्रीमती गोपालकुंवर विधवा हितरसिंह राजपूत निवासी रठांजना तह. व जिला प्रतापगढ़।

बनाम

प्रति...

1. श्री मान सिंह पिता किशनसिंह राजपुत उम्र75 वर्ष पेशा काश्त निवासी रठाजना तहसील प्रत...
2. श्री उदेसिंह पिता मानसिंह जी राजपुत उम्र 45 वर्ष पेशा काश्त निवासी रठाजना तहसील प्रत...
3. श्री मानसिंह पिता उदे सिंह राजपुत उम्र 22 वर्ष पेशा काश्त निवासी रठाजना तहसीलदार प्र...
4. श्री कुमारसिंह राजपुत पिता उदेसिंह राजपुत उम्र 10 वर्ष
5. श्री किशनसिंह पिता उदेसिंह राजपुत उम्र 7 साल मृतक(फोते होने से दिनांक 9/8/12 को ...
6. श्री मदनसिंह पिता उदेसिंह राजपुत उम्र 28 साल सभी निवासी रठांजना तह.प्रतापगढ़ राज.
7. श्री सोहनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष पेशा काश्त निवासी रठाजना तह. प्रतापगढ़...
8. श्री ईश्वरसिंह पिता भंवरसिंह उम्र 24 वर्ष पेशा कास्त निवासी रठाजनां तह. प्रतापगढ़ राज.
9. श्री गुलाबसिंह पिता भंवरसिंह उम्र 12 वर्ष
10. श्री हरीसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत उम्र 4 वर्ष नाबालिक सरपरस्त भाई खुद ईश्वरसिंह प्रति... निवासी रठाजना तह. प्रतापगढ़ राज.
11. श्री रतन कुंवर विधवा भंवरसिंह राजपूज उम्र 34 वर्ष पेशा काश्त निवाशी रठाजना तह.प्रतापग...
12. श्री मदनसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष पेशा काश्त निवासी रठाजना तह. प्रताप...
13. श्री मान तहसीलदार साहब,तहसील प्रतापगढ़।
14. रतन कुंवर पति केशरसिंह राजपुत निवासी लुणखेड़ा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश।
15. ... कुंवर पति कचरूसिंह राजपुत नि.आमलीखेड़ा तह. मनासा म.प्र.।
16. सूरज कुंवर पति गोपालसिंह राजपुत निवासी सूपड़ा तह. व जि. निमच म.प्र.।
17. बहादुरसिंह पिता उदासिंह राजपुत उम्र 31 वर्ष निवासी रठाजना तह. प्रतापगढ़ राज.
18. ...सिंह पिता उदयसिंह राजपुत निवासी रंठाजना तह. प्रतापगढ़ राज.

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– 1. श्री प्रमोद तम्बोली – अभिभाषक वादीया।

:–निर्णयः–

दिनांक 10...2.2...

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीया राजस्थान काश्तकारी अ... 1955 की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1... का ससुर है,प्रतिवादी संख्या 2 वादीया के पति का बड़ा भाई है,और प्रतिवादी संख्या ... प्रतिवादी सं.1 के पुत्र एवं प्रतिवादी सं. 2 के पोत्र है। प्रतिवादी सं. 8 सं 11 प्रतिवादी... भाई गोर्धन सिंह के मृतक पुत्र भंवरलाल के पुत्र व विधवा है, प्रतिवादी सं. 12 प्रतिवा... के भाई गोवर्धनसिंह का दुसरा लडाका है। प्रतिवादी सं. 1 व 3 शामिल रहते हैं।प्रति... 7 व प्रतिवादी सं. 12 मदनसिंह व भंवरसिंह के वारीस प्रतिवादी 8 से 11 अलग अल... हैं।प्रतिवादी सं. 4,5,6 नाबालिक हैं, जो अपने पिता प्रतिवादी संख्या 2 के संरक्षण में र... प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर मोरूसी आराजीयात ग्राम चमलावदा तह. प्रतापगढ़ में स्थित... खसरा नं. 653,655,656,658,659,660,662,671,672 कुल किता 8 रकबा 20 बीगा 9 बिस... खसरा नं. 652,654,661,663,/1,657/12,673/4 कुल किता 8 रकबा 20 बीघा 9... है।इसी प्रकार ग्राम रठाजना में स्थित ...

प्रतिवादी सं. 12 मदनसिंह के नाम पर गॉव रठाजना में भुमि खसरा नं. 1079,1080,1081 कुल किता 7 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा होंकर खसरा रकबा 4 बीघा 2 बीस्वा व खसरा नं. 1078 में से दक्षिण तरफ का एक प्रतिवादी सं. 7 के कब्जे में हैं, और शेंष भूमि प्रतिवादी 8 से 10 के पिता व प्रतिवादी सं व उसके भाई मदनसिंह प्रतिवादी सं. 12 का कोई हक नहीं है, क्योकि मदनसिंह का नाम इस खाते से अलग दर्ज हो गया है। प्रतिवादी सं. एक द्वारा उपरोक्त मोरूसी आराजियात का बटवारा वादीया के पति व उनके बाद उनके पति छीतरसिंह व वादीया के ससुर मानसिंह व वादीया के जेठ उदयसिंह सं. 2 के बीच कर दिया गया था,उसके अनुसार वादीया के पति व उनके बाद प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा चला आ रहा है,जिनका वर्णन वाद में दर्शाने अनुसार किया है, उसका भरण पोषण उसके हिस्से में आइ आराजीयात से होता है। दो ग्राम चमलावदा एवं रठांजना के खातों की नकलें प्राप्त करने पर वादिया को ज्ञात कि प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने साजिश करने वादिया को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि ग्राम से वंचित करने की दुर्भावना से प्रतिवादी सं. 3 के नाम नामान्तरण पारित करा है जो वादिया पर बन्धककारक नही है क्योंकि यह भूमि वादीया और प्रतिवादी सं. 2 के में आई है। इस लिये वाद पत्र की चरण सं. 4 अ(1)(2) में दर्ज हिस्से अनुसार ग्राम व रठाजना की भूमि का विभाजन करने की अणिकारिणी है। अतः निवेदन है कि अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर वादीया के पक्ष में घोषणात्मक डित्ती जारी की विभाजन कराया जावें।

2,4,5,6,8,9,10 ने वीकारोक्ति का वादोत्तर पेश किया प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब पेश किया कि वादग्रस्त आराजियात मोरूषी नहीं है। और इसमें वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण हिस्सा नहीं है। वादीया नें प्रतिवादी सं. को कोई हिस्सा नहीं दिया है। प्रतिवादी सं. 1 ने पौत्र भंवरसिंह को स्वेच्छा से भूमि दी है। दसी प्रकार खसरा नं. 528,529व468 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में नहीं आई है। बल्कि सम्पूर्ण आराजियात का प्रतिवादी सं. 1 तन्हा खातेदार है, वादीया नें जो हिस्से बतायें है, वे सही नहीं है। वादीया इस आराजियात में हिस्से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः वाद खारीज किया जावें।

दोराने कार्यवाही प्रतिवादी सं. 1 का निधन हों जाने से प्रतिवादी सं. 14,15,16 को कायम मुकाम बनाया गया। वाद एवं वादोत्तर के आधार पर प्रकरण में 7 वाद बिन्दु निर्धारित किये गये। जिन पर साक्ष्य लेकर सुनवाई करने के पश्चात वादीया का वाद आशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीया को वादग्रस्त आराजिया में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिग्री दिनांक 10.12.2002 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी कर दी। इससे असंतुष्ट होकर वादीया ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ पेश कि है। उसके पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय निम्न प्रकार रहा।

विद्वान अभिभाषक अपिलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी वाद बिन्दुओं का निर्णय वादी के पक्ष में करते हुऐ विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति होंना माना है। मूल पुरूष मानसिंह के खाते में उक्त आराजियात होनें से मानसिंह के दो पुत्र छितर सिंह एवं उदेसिंह हैं। छितरसिंह की मृत्यु होकर वादीया उसकी बेवा हैं। दोराने कार्यवाही मानसिंह की मृत्यु हो गई है,और मानसिंह के दो वारिस वादीया के पति छितरसिंह व मानसिंह होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होनें

…त अभिभावक रेस्पोडेन्ट सां. 15 ने अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय को उचित बताते … अपिलान्ट अस्वीकार की जाने प्रार्थना की।

…ने विद्वरन अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय नें प्रकरण में 7 वाद बिन्दु विरचित किया है, जिनके संदर्भ में …न एवं निष्कर्ष नम्निानुसार है :–

वाद बिन्दु संख्या–1 आया वादीगण व प्रतिवादीगण वाद की चरण सं. 2 में दर्शाये अनुसार सजरा खानदान है ?

…सिद्ध कराने का दायित्व पादी का है। प्रतिवादी सं. 2,4,5,6,8,9,10 ने वादी के वाद का …उक्ति में वादीत्तर प्रस्तुत किया है,जिससे इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में काई विवाद नही … इसका निर्णय वादीया का पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने सही किया हैं।

वाद बिन्दु संख्या–2 आया प्रतिवादी की सं. 1 के नाम वाद चरण सं. 2 में दर्शाई गई आराजियात ग्राम चमलावदा पटवार हल्का थड़ा मोरूषी कृषि भुमि है ?

इसे सिद्ध कराने का दायित्व वादीया का है। वादीया ने संवत् 2018 में किये गये …जन की प्रति प्रस्तुत कि है,जो प्रदर्श– 5 ए हैं, में वादग्रस्त आरासतियात पुश्तैनी होना स्वीकार किया हैं। वादीया के गवाह रूगनाथसिंह ने उक्त लिखापढ़ी पर अपना साक्ष्य होना स्वीकार किया है। पी.डब्ल्यु–2 अमृतलाल ने बटवारे कि यह जिखापढ़ि मान सिंह के कहनें से …थसिंह व वरदा की उपस्थिति में कि जाना कथन स्वीकार किया हैं। गवाह पवीडब्ल्यु –4 …चंद भी इस लिखापढ़ि को उसके समक्ष लिखा जाना स्वीकार करता है। इसके विपरित प्रतिवादी सं'. 1 ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि है,जिससे इस लिखापढी का खण्डन होता है वादीया ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से द्वारा संवत् 2018 में अपने पुंत्र उदयसिंह व छीतरसिंह के मध्य उसकी बेवा है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद बिन्दु का निर्णय वादीया के पक्ष में सही किया है।

वाद बिन्दु संख्या–3 आया प्रतिवादी सं. 1 के नाम ग्राम रठाजना तह. प्रतापगढ़ में भूमि दर्ज उपचरण क,ख,ग में दर्शाये अनुसार दर्ज कागजात है ?

इसे सिद्ध कराने का दायित्व वादीया का है। वादीया द्वारा प्रस्तुत जमारबन्दी संवत् 2034–2037 प्रदर्श–2 के अनुसार भुमी मानसिंह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है,और प्रदर्श–3 व 4 में मानसिंह अन्य सहकृषिकों के साथ खातेदार हैं,जिससे वादीया का वाद पत्र कह चरण सं. 3 क,ख,ग की पुष्टि होती हैं। अधिनस्थ न्यायालय नें राजस्व अभिलेख के अनुसार दस वाद बिन्दु का निर्णय वादीया के पक्ष में सही किया है।

वाद बिन्दु संख्या–4 आया पतिवादी द्वारा संवत् 2018 में बंटवारा उपरोक्त आराजियात वाद चरण सं. 2 व 3 में दर्शाई गई है,जो वादीया व उसके ससुर प्रतिवादी नं. 1 व जेठ प्रतिवादी सं. 2 की मोरूसी थी, वादीसा के पति छितर सिंह व वादीया के ससुर 1 व जेठ प्रतिवादी सं. 2 की के बीच कर दिया था,और इन आराजियात पर कब्जा वाद चरण संख्या 4(अ) में दर्शाये अनुसार अलग–अलग चला आ रहा है, कबजा काश्त अलग–अलग रखकर काश्त कर रहे हैं ?

इसे सिद्ध कराने का दायित्व वादीया का है। वाद बिन्दु सं. 1 में किये गये दृविवेचन के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा संवत् 2018 में वादग्रस्त आराजियात का बटवारा उदेसिंह और वादीया के पति छितरसिंह के मध्य किया जाना प्रदर्श–5 ए से सिद्ध होता है, लेकिन उक्त

हिस्से पांति की भूमि वाके चमलावदा से वंचित करने की गरज से चमलावदा की वादीया व प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से पांती व कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं. 3 के नाम खुलदाया जो वादीया पर प्रभावहिन होकर उसके मुकाबले नल एण्ड वॉइड है? सिद्ध कराने का दायित्व वादीया का है। वाद बिन्दु सं. 1 व 4 में किये गये विवेचन वादग्रस्त आराजियात मोरूषी और प्रतिवादी सं. 1 मानसिंह (मृतक) द्वारा संवत्2018 में किया जाना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध है। वादग्रस्त आराजियात में सं. 1 में जो हिस्सा था, वह उसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण के हिस्से में हो जाता है, जिससे वादीया का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 3 कें पक्ष में जो हस्तान्तरण किया है, वह वादीया के प्रभावहिन है, जिससे वादीया के हक समाप्त नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिन्दु के निर्णय वादीया के पक्ष में किया है जो सही है।

बिन्दु संख्या–6 आया वादीया अधिकारी है कि मोरूषी आराजियात मुन्दर्रजा वाद चरण सं. 4 अ,ब,स में से अपने पांती के हिस्से में आई आराजी को वाद चरण सं. 4 (अ) (1) (2) में दर्शित है। वादीया अपने नाम बटबारे की डिग्री पारीत करा अपने आप कों खातेदार घोषित कराने ?

इसे सिद्ध कराने का दायित्व वादीया का है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजियात मानसिंह की पंश्तैनी होना सिद्ध हैं, और मानसिंह की मृत्यु दौरान वाद होने से उक्त आराजियात में उनके दो पुत्र छितरसिंह व उदेसिंह दोनो बराबर हक से हिस्सा पाने के अधिकारी है। वादीया मृतक छितरसिंह की बेवा है,जिससे वह 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणि हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दस वाद बिन्दु का निर्णय त्रुंटिपुर्ण करते हुए वादीया को 1/3 हिस्से का खातेदार घाषित कर विभाजन की डिकी दी है,जो सही नहीं ।

वाद बिन्दु संख्या–7 आया वाद चरण सं. 2 व 3 में दर्शाई गई आराजियात प्रतिवादी नं. 1 की स्वयं की नाजा कमाई की है, इस कारण प्रतिवादी नं. 1 के जिवित रहते इन आराजियात के वादीया व अन्य व्यक्तियो का कोई अधिकार नहीं है ?

इसे सिद्ध कराने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 का है। प्रतिवादी सं.1 की दोराने वाद मृत्यु हो चुकी है वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना प्रमाणित हो चुका है। जिससे इस वाद बिन्दु के निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं रहती हैं।

(8) उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीया नें अपनें जिम्मे के वाद बिन्दुओ को साक्ष्य से सिद्ध कराया हैं, और वादग्रस्त आराजियात मोरूषी होने के कारण वादीया 1/2 हिस्से की घोषणा कराकर विभाजन करानें की अधिकारिणी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर विभाजन की जो डिग्री दी है, वह त्रुटिपुर्ण होने से यह अपिल स्वीकार किये जाने के योग्य है।

(9) अतः अपिल अपिलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ के निर्णय एवं डिग्री दिनांक 10/12/2002 निरस्त किये जाते हैं और वादग्रस्त आराजियात में वादीया अपिलान्ट का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिग्री जारी की जाती है। तहसीलदार प्रतापगढ़ कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं,कि पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करें।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण महोदय चितौडगढ के आदेशानुसार पत्रावली में हुये आदेशानुसार तहसीलदार

के द्वारा जारी प्राथमिक डिकी के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया कि मौजा चमलावद की आराजी नम्बर कमशः 886, 887, 888, 889, 890, 913, 914, 915, 918, 923, 970 972, 973 रकबा कमशः 0.05, 0.44, 0.49, 0.11, 0.32, 1.31, 1.18, 0.12, 1.02, 0.26, 0.10, 0.79, 0.92 कुल किता 13 कुल रकबा 07.01 हैक्टेयर व मौजा रठांजना की आराजी नम्बर कमशः 301, 1299, 1300, 518, 1305, 973, 974 रकबा कमशः 0.13, 0.99, 0.74, 0.12, 1.38, 0.03, 1.16 कुल किता 7 कुल रकबा 4.55 पर है जिसमें वादीया गोपालकुवंर को मौजा चमलावद की आराजी नम्बर 886, 887, 888, 889, 890, 913, 914, 915, 918, 923 रकबा कमशः 0.05, 0.44, 0.49, 0.11, 0.32, 1.31, 1.18, 1.02, 0.26 कुल किता 9 कुल रकबा 5.18 व ग्राम रठांजना में आराजी नम्बर 974, 1.16 में से 0.58 हैक्टेयर पूर्व दिशा का व बाकी शेष रकबा प्रतिवादीगण कमांक 2 उदयसिंह पिता मानसिंह वगैरहा को मौजा चमलावदा की आराजी नम्बर 915, 970, 972, 973 रकबा कमशः 0.12, 0.10, 0.69, 0.92 कुल किता रकबा 1.83 हैक्टेयर व ग्राम रठांजना में आराजी नम्बर 301, 518, 1299, 1300, 1305, 973, 974 कमशः 0.13, 0.12, 0.99, 0.74, 1.38 कुल किता 5 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 974 रकबा 1.16 में से 0.58 हैक्टेयर पश्चिम दिशा का रहेगा।

इसी तरह ग्राम रठांजना में स्थित आराजी नम्बर 973 रकबा 0.03 (चाह) वादी एवं प्रतिवादीगण कमांक 2 उदयसिंह पिता मानसिंह के सामलाती में खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है।

उक्त विभाजन प्राप्त होने के पश्चात पत्रावली पर पुनः बहस सुनी गई जिसमें वादी अभिभाषक द्वारा द्वारा कोई आपत्ति नही होना बताया गया। उक्त पत्रावली का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं वकीलवादी कि बहस के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है

:–आदेशः–

यह आदेशित किया जाता है कि मौजा चमलावद की आराजी नम्बर कमशः 886, 887, 888, 889, 890, 913, 914, 915, 918, 923, 970 972, 973 रकबा कमशः 0.05, 0.44, 0.49, 0.11, 0.32, 1.31, 1.18, 0.12, 1.02, 0.26, 0.10, 0.79, 0.92 कुल किता 13 कुल रकबा 07.01 हैक्टेयर व मौजा रठांजना की आराजी नम्बर कमशः 301, 1299, 1300, 518, 1305, 973, 974 रकबा कमशः 0.13, 0.99, 0.74, 0.12, 1.38, 0.03, 1.16 कुल किता 7 कुल रकबा 4.55 पर है जिसमें वादीया गोपालकुवंर को मौजा चमलावद की आराजी नम्बर 886, 887, 888, 889, 890, 913, 914, 915, 918, 923 रकबा कमशः 0.05, 0.44, 0.49, 0.11, 0.32, 1.31, 1.18, 1.02, 0.26 कुल किता 9 कुल रकबा 5.18 व ग्राम रठांजना में आराजी नम्बर 974, 1.16 में से 0.58 हैक्टेयर पूर्व दिशा का व बाकी शेष रकबा प्रतिवादीगण कमांक 2 उदयसिंह पिता मानसिंह वगै. को मौजा चमलावदा की आराजी नम्बर 915, 970, 972, 973 रकबा कमशः 0.12, 0.10, 0.69, 0.92 कुल 4 किता रकबा 1.83 हैक्टेयर व ग्राम रठांजना में आराजी नम्बर 301, 518, 1299, 1300, 1305, रकबा कमशः 0.13, 0.12, 0.99, 0.74, 1.38 कुल किता 5 कुल रकबा 3.36 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 974 रकबा 1.16 में से 0.58 हैक्टेयर पश्चिम दिशा का रहेगा। इसी तरह ग्राम रठांजना में स्थित आराजी नम्बर 973 रकबा 0.03 (चाह) वादी एवं प्रतिवादीगण कमांक 2 उदयसिंह पिता मानसिंह के सामलाती में खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। उक्त पत्रावली में डिगरी पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दफ्न हों।